

कार्यालय श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन

न्यू मोती बंगला, 518, एम जी रोड, इन्दौर

इंदौर, दिनांक 15/09/2015

आदेश

क्रमांक 464/15 म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.8-2/ 2013/आ.प्र./ एक, दिनांक 22.2.2014 एवं सहपठित परिपत्र दिनांक 21.5.14 में निहित निर्देशानुसार "निःशक्तजनों के विशेष भर्ती अभियान" के तहत चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को भृत्य के पद पर वेतनबैंड रुपये 4440-7440 + 1900 ग्रेडपे में नियमानुसार न्यूनतम वेतन तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों पर, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें निम्न तालिका के स्तम्भ (4) में उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में एतद्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम/पिता का नाम/जाति/ एवं पता	निःशक्तता की श्रेणी	भृत्य के पद पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रविन्द्र कुमार यादव पिता श्री शंकरलाल (अपिव) निवासी-जन्तीपुर, मुआ बिछिया,जिला मंडला (म.प्र.) पिन-481995	अस्थि बाधित	कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला बालाघाट
2	श्री ओमप्रकाश सिंह पिता श्री सकलदीप सिंह (अपिव) निवासी- 165, भारत नगर, पिपलानी, जे.के.रोड, भोपाल (म.प्र.) पिन-462023	श्रवण बाधित	कार्यालय उपश्रमायुक्त, भोपाल
3	श्रीमती दीप्ती जैन पति श्री दिनेश जैन निवासी -द्वारा स्व.श्री अशोक कुमार जैन, म.नं.844, नया 579, पूर्वी निवाडगंज, जबलपुर(म.प्र.) -482002	श्रवण बाधित	कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला नरसिंहपुर
4	कु. तसनीम आरिफ पिता श्री फखरुद्दीन आरिफ निवासी- 274,धनवन्तरी नगर,जी-2,साईं विला, इंदौर	दृष्टि बाधित	कार्यालय श्रमायुक्त, म.प्र. इंदौर
5	श्री शैलेश कुमार पिता श्री बालकृष्ण श्रीवास्तव प्रभा सदन, गोपालनगर, चिरहुला कालोनी के पीछे, वार्ड नं.43 रीवा (म.प्र.) पिन 486001	दृष्टि बाधित	कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला रीवा

2/ उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाती है :-

1- उम्मीदवार की सेवाएं अस्थाई हैं एवं किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का नोटिस या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।



निरंतर-2

- 2- उम्मीदवार द्वारा एक माह का नोटिस दिये बगैर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बगैर शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त-1 के अंतर्गत देय रकम उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- 3- म.प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.4.05 के अनुसार उम्मीदवार पर म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 तथा म.प्र.सामान्य भविष्य निधि नियम,1955 लागू नहीं होंगे। किन्तु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।
- 4- म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक एफ.सी.3-15/2012/1/3 दिनांक 24.11.12 एवं सहपठित परिपत्र क्रमांक 1516/1541/2014/1/3 दिनांक 5 अगस्त,2014 अनुसार यह नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना के समाप्त की जावेगी।
- 5- आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस में पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
- 6- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यक समस्त शैक्षणिक मूल दस्तावेज के साथ निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
- (1) चरित्र सत्यापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.सी/3-15/2012/1/3 दिनांक 24.11.12 में दर्शाए अनुसार "शपथ पत्र"।
- (2) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.8-3/2013/आप्र/एक, दिनांक 17 जुलाई,2014 में निर्देशानुसार पूर्व में जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराकर प्रस्तुत करना होगा। जांच में यदि 40% या अधिक निःशक्तता पाई जाती है, तभी उनको कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा, अन्यथा नहीं।
- 7- निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.8-2/2013/आप्र/एक, दिनांक 30जून,2014 में निर्देशानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

(के.सी.गुप्ता)

श्रम आयुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

निरंतर-3